सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी-बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2023 / 395 दर्ज तिथिः—08.02.2023

1. शेराराम पुत्र वगताराम
जाति गर्ग (गरूड़ा) निवासी मोडाणियों की ढाणी ग्राम पंचायत आडेल तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

.................वादी

बनाम

1. हरखाराम पुत्र अलसाराम
2. बाबुराम पुत्र अलसाराम
3. धाईदेवी पत्नी अलसाराम
जाति मेघवाल निवासी मोडाणियों की ढाणी ग्राम पंचायत आडेल तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर
4. सागरदेवी पत्नी लूम्भनाथ
जाति कालबेलिया निवासी मोडाणियों की ढाणी ग्राम पंचायत आडेल तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

.................असल प्रतिवादीगण

5. जरिये राज्य सरकार तहसीलदार एवं उपपंजीयक नोखड़ा

..................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादी—श्री डालूराम चौधरी।
प्रतिवादीगण— एकतरफा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्त0 अधिनियम—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—19.09.2024

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 178 / 8.5916 है0 वाके ग्राम मोडाणियों की ढाणी तहसील नोखड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.03 22:05:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण व असल प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद विधिवत तामील अनुस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वादी की तरफ से साक्ष्य प्राप्त की जाकर अभिभाषक वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार नोखड़ा से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक / कोर्ट / आर.ए. / 2024 / 1601 दिनांक 28.08.2024 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक / कोर्ट / आर.ए. / 2024 / 1601 दिनांक 28.08.2024 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः—

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 12.07.2024 को तहसीलदार नोखड़ा द्वारा मय पटवारी / गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस क्रमांक / 2024 / 316—320 दिनांक 05.07.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 12.07.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.03 22:05:34 IST
Reason: SelfAttested

जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस क्रमांक / 2024 / 316—320 दिनांक 05.07.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 12.07.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

3. प्रकरण में वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं प्रदर्श संख्या—01 से प्रदर्श संख्या—02 सहित संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2076—2079 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 178 / 8.5916 है0 वाके ग्राम मोडाणियों की ढाणी तहसील नोखड़ा के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा—ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ—साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार हैः—

प्रथम— स्वामित्व एवं कब्जाः— प्रकरण के बाद तकसीम पृथक—पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह— काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय— सुविधा का सन्तुलनः— प्रकरण में बाद तकसीम पृथक—पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं । प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय— अपूरणीय क्षतिः— प्रकरण में बाद तकसीम पृथक—पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.03 22:05:34 IST
Reason: SelfAttested

पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजीखसरा संख्या 178/8.5916 है0 वाके ग्राम मोडाणियों की ढाणी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म
शेराराम पुत्र वगताराम जाति गरूड़ा (गर्ग) सा. देह खातेदार	पूर्ण	178	0.1618	बा.सो.
किता 01 रकबा 0.1618 हैक्टेयर				
धाईदेवी पत्नी हरखाराम जाति मेघवाल	14319 / 84298	178	8.4298	बा.सो.
बाबुराम पुत्र अलसाराम जाति मेघवाल	17090 / 42149			
सागरेदवी पत्नी लूम्भनाथ जाति कालबेलिया	2427 / 42149			
हरखाराम पुत्र अलसाराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	30945 / 84298			
किता 01 रकबा 8.4298 हैक्टेयर				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.03 22:05:34 IST
Reason: SelfAttested

जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार नोखड़ा को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 19.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.03 22:05:34 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2023 / 395 दर्ज तिथिः—08.02.2023

1. शेराराम पुत्र वगताराम
   जाति गर्ग (गरूड़ा) निवासी मोडाणियों की ढाणी ग्राम पंचायत आडेल तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

.................वादी

बनाम

1. हरखाराम पुत्र अलसाराम
2. बाबुराम पुत्र अलसाराम
3. धाईदेवी पत्नी अलसाराम
   जाति मेघवाल निवासी मोडाणियों की ढाणी ग्राम पंचायत आडेल तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर
4. सागरदेवी पत्नी लूम्भनाथ
   जाति कालबेलिया निवासी मोडाणियों की ढाणी ग्राम पंचायत आडेल तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

.................असल प्रतिवादीगण

5. जरिये राज्य सरकार तहसीलदार एवं उपपंजीयक नोखड़ा

..................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादी—श्री डालूराम चौधरी।
प्रतिवादीगण— एकतरफा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्त0 अधिनियम—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

निर्णय तिथिः—19.09.2024

दावा वादी अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजीखसरा संख्या 178/8.5916 है0 वाके ग्राम मोडाणियों की ढाणी तहसील नोखड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.03 22:05:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म
शेराराम पुत्र वगताराम जाति गरूड़ा (गर्ग) सा. देह खातेदार	पूर्ण	178	0.1618	बा.सो.
किता 01 रकबा 0.1618 हैक्टेयर				
धाईदेवी पत्नी हरखाराम जाति मेघवाल	14319/84298	178	8.4298	बा.सो.
बाबुराम पुत्र अलसाराम जाति मेघवाल	17090/42149			
सागरेदवी पत्नी लूम्भनाथ जाति कालबेलिया	2427/42149			
हरखाराम पुत्र अलसाराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	30945/84298			
किता 01 रकबा 8.4298 हैक्टेयर				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार नोखड़ा को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 19.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.03 22:05:34 IST
Reason: SelfAttested